

आचार्य

शुद्धि, प्रगतियोग, प्रगतिपरिषद

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आचार्य - प्रगतिपरिषद सम्बन्धित/2021/1957

अवधि 1 दिवस - 2021/2022

अभिलेख अर्थः

शुद्धि, प्रगतियोग, प्रगतिपरिषद द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि छात्रों को शिक्षा के माध्यम से नैतिक, वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय, आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील सोच विकसित करने में सहायता मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को नैतिक, वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय, आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील सोच विकसित करने में सहायता मिलेगी।

इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को नैतिक, वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय, आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील सोच विकसित करने में सहायता मिलेगी।

आचार्य का कोड एच 1001 (UPP-SR Group of Institutions)(College of Pharmacy), Lucknow

आचार्य, Lucknow

आचार्य

आचार्य का नाम

एच 1001/0सीसीपीए, प्रौद्योगिकी परिसर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रगतिपरिषद द्वारा आयोजित है।

1. प्रगतिपरिषद द्वारा आयोजित है।

आचार्य का कोड

1. आचार्य का कोड एच 1001 (UPP-SR Group of Institutions)(College of Pharmacy), Lucknow
2. आचार्य का नाम
3. आचार्य का नाम
4. आचार्य का नाम
5. आचार्य का नाम
6. आचार्य का नाम
7. आचार्य का नाम
8. आचार्य का नाम
9. आचार्य का नाम
10. आचार्य का नाम
11. आचार्य का नाम
12. आचार्य का नाम
13. आचार्य का नाम
14. आचार्य का नाम
15. आचार्य का नाम
16. आचार्य का नाम
17. आचार्य का नाम
18. आचार्य का नाम
19. आचार्य का नाम
20. आचार्य का नाम

- ✓ क्या जात है तथा दायर बाढ़ के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है या नहीं।
- ✓ विद्यमान इन धार्मिक या शैक्षणिक संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश एवं केन्द्र अधीन प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीपीपीआईए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद का कार्य को प्रभावित करना होगा अथवा नहीं। (काउन्सिलिंग के सामान्य से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्राप्त करने की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, संरक्ष, संरक्षणात्मक उपकरण एवं विना जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त सामग्रियों उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक आरक्षण सुनिश्चित करने होंगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संस्थापित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति का समस्त उपकरण एवं अन्य आवश्यक भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया गया है तो बाध की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त सब प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को वापस कर लिये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण-टोशन यदि संस्था में भूमि, भवन, जयोगशाळा, उपकरण एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की संख्या 2020/2021 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को संशुद्धता/समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ संशुद्धता नहीं कर अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निगमानुसार अनुमानित/अनुमानित/अनुमानित की जायेगी।


(सुनील कुमार सोमवार)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पुस्तक प्राविण/परिषद संख्या/2021/3538-4809

पता: निदेशक SR Group of Institutions (College of Pharmacy), Jhansi, Amtabad


(सुनील कुमार सोमवार)

सचिव

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सखनऊ

संख्या-
दिनांक
03/10/2022

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/967II

कार्यालय तारः

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमेशी काउन्सिलिंग ऑफ इन्जिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 21/22-23 हेतु विप्लोम स्तरीय शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 03/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मसौ पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 सखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता प्रदान करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का पता एवं नाम : 3041-SR GROUP OF INSTITUTIONS COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश ध्याती होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस भी नवीनतम दरें लागू होंगी।
- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30/90, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/90 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- यदि संस्था का ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपस्थित कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग

- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिन रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

[Signature]
(एफ0आर0
खान)

सचिव

दिनांक:
03/10/2022

पू0सं0- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9679-9717

अतिरिक्त -
अध्यक्ष/निदेशक-SR GROUP OF INSTITUTIONS COLLEGE OF PHARMACY

[Signature]
(एफ0आर0
खान)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविपरिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से प्रस्तावित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम	संस्था का कोड एवं नाम	ए०आईपीसीटीएड/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
3041-SR GROUP OF INSTITUTIONS COLLEGE OF PHARMACY	पाठ्यक्रम का नाम	60	60
	DIPLOMA IN PHARMACY		

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं को जांच के विरुद्ध माननीय न्यायालय में याचिका रिट याचिका संख्या 50277/2023 में माननीय न्यायालय के जांच निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में सस्तर प्रयोग (भूमि, भवन, सेवा उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962, विनियमवाली-2000, सम्बद्धता विनियमवाली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों की अनुपालना करेगी तथा शुल्क विधायक समिति द्वारा

निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर चलाने द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। वित्त निर्धारण समिति द्वारा यदि अब 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दर लागू होगी।

संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। संस्था के समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराया होगा। संस्थाका उच्च प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

उच्च संस्था का उचित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था समय उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर आदि के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश जारी किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

संस्था के संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिल ऑफ फार्मैसी से पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद सदस्य को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।


उच्च प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत न्यूनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा। संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूआइएन पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा। संस्था को काल-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

संस्था या सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को धराया जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवत, कमीन्धर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में धराया किया जाये है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां) और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना। विनियमावली, 2000 के परिष्कारानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, श्रवणों और कमीन्धर को परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।

संस्था के औपचारिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, इतक प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पर्याप्त/अनुपयुक्त/अनुपयुक्त के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।

सम्बद्धता शर्त का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधान/समाप्तक कार्यवाही की जावेगी।


(अनील कुमार मिश्रा)

सचिव